

## कार्यालय, जिला एवं सत्र न्यायाधीश, औरंगाबाद

### सूचना

औरंगाबाद न्यायमंडल से विगत तीन वर्षों के अन्दर सेवानिवृत्त तृतीय एवं चतुर्थ वर्गीय कर्मचारियों को सूचित किया जाता है कि माननीय उच्च न्यायालय, पटना के पत्रांक संख्या-28294-28330/A.D.Misc).IV-66-2022, दिनांक 12.05.2022 में निहित निर्देशानुसार बिहार व्यवहार न्यायालय अधिकारी एवं कर्मचारी (नियुक्ति, प्रोन्नति, स्थानान्तरण एवं अन्य सेवा शर्तें) नियमावली-2022 के अनुच्छेद-15.क. के आलोक में वैसे तृतीय एवं चतुर्थ वर्गीय कर्मचारी जो सेवानिवृत्त हो चुके हैं अथवा जुलाई-2022 तक सेवानिवृत्त होने वाले हैं एवं अपनी सेवा देने हेतु इच्छुक हैं, वे अपनी पुनः नियुक्ति हेतु आवेदन कर सकते हैं।

ऐसे सेवानिवृत्त इच्छुक कर्मचारी विहित प्रपत्र में आवेदन, अपनी सहमति एवं चिकित्सीय प्रमाण-पत्र (सिविल सर्जन द्वारा निर्गत) के साथ प्रशासनिक कार्यालय, व्यवहार न्यायालय, औरंगाबाद में दिनांक 20.05.2022 को 01.00 बजे अपराहन तक आवेदन समर्पित कर सकते हैं।

--:आदेशानुसार:-

*Kumar Vivek*  
13/05/2022

न्यायालय प्रबंधक -सह- प्रभारी प्रशासन,  
व्यवहार न्यायालय,  
औरंगाबाद



सेवानिवृत्त तृतीय एवं चतुर्थ वर्गीय संवर्ग के कर्मचारियों के पुर्ननियोजन हेतु

विहित प्रपत्र

Recent  
passport  
size  
photograph

क्रम सं०	विवरण	
1	सेवानिवृत्त आवेदक का नाम	
2	सेवानिवृत्ति के समय पदनाम	
3	पिता का नाम	
4	जन्म तिथि	
5	वर्तमान पता	
6	स्थायी पता	
7	मोबाईल नम्बर	
8	सेवानिवृत्ति की तिथि	
9	नियुक्ति का मूल स्थान	
10	सेवानिवृत्ति के समय मूल वेतन	
11	ई-मेल नम्बर	
12	शैक्षणिक योग्यता	
13	सेवाकाल में आवेदक के विरुद्ध की गयी विभागीय कार्रवाई का विवरण, यदि हो तो	
14	वर्तमान में आवेदक के विरुद्ध यदि कोई मुकदमा चल रहा हो तो उसका विवरण	
15	स्वस्थ होने संबंधी चिकित्सीय प्रमाण-पत्र संलग्न करें	

आवेदक का हस्ताक्षर

घोषणा-पत्र

मैं शपथ पूर्वक घोषणा करता हूँ कि मेरे द्वारा दी गयी उपरोक्त सभी तथ्य मेरी जानकारी में सही एवं सत्य है। मैं अवगत हूँ कि यदि भविष्य में जांच में यदि कोई भी उपरोक्त जानकारी गलत पायी जाती है तो मेरे विरुद्ध कार्रवाई की जा सकती है।

दिनांक:-

आवेदक का हस्ताक्षर